भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2386
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर के उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी का उपयोग

†2386. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकार द्वारा जारी अनुमोदित चिकित्सा नयाचार और दिशानिर्देशों के अंतर्गत कैंसर के उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वर्तमान में देश भर के सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों को इम्यूनोथेरेपी प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो ऐसे अस्पताल कौन-कौन से हैं; और
(ग) मंत्रालय द्वारा कैंसर अस्पतालों में इम्यूनोथेरेपी किए जाने के लिए रोगी की पात्रता हेतु मानदंड और विद्यमान निगरानी तंत्र सहित निर्धारित अनुमोदित नयाचार, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और नैदानिक दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग - आईसीएमआर ने फेफड़ों के कैंसर के उपचार और उपशामक देखभाल के लिए साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश फेफड़ों के कैंसर के निदान, उपचार और उपशामक देखभाल के लिए एक मानकीकृत, साक्ष्य-आधारित ढांचा स्थापित करते हैं, जिसका उद्देश्य शीघ्र निदान में सुधार करना, नैदानिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना और देश भर में परिचर्या प्रदायगी में भिन्नताओं को कम करना है। इन दिशानिर्देशों में फेफड़ों के कैंसर प्रबंधन के चिकित्सीय और उपशामक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए 15 साक्ष्य-आधारित अनुशंसाएं शामिल हैं, जिनमें उपयुक्त रोगियों में केवल कीमोथेरेपी के बजाय अकेले या अन्य एजेंटों के संयोजन में इम्यूनोथेरेपी की अनुशंसा भी शामिल है।

कतिपय उच्च स्तरीय सरकारी अस्पतालों में, जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन संस्थान शामिल हैं, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और अनुमोदित दवाओं की उपलब्धता के अधीन, इम्यूनोथेरेपी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) भारत सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, नैदानिक स्थापना मानकों और आईसीएमआर की सिफारिशों के माध्यम से फेफड़ों के कैंसर के उपचार में इम्यूनोथेरेपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा तैयार किया है। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं, रोगी पात्रता मानदंड और निगरानी प्रोटोकॉल राष्ट्रीय फेफड़ों के कैंसर साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं। [संदर्भ: https://dhr.gov.in/whatsnew/eve-world-cancer-day-honorable-union-health-minister-releases-evidence-based-guidelines]
